

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 223 / 2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जेंगा भेंगरा

- विक्रेता

सामुएल भेंगरा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
05.08.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक जेंगा भेंगरा पिता स्व० सिनुदीन भेंगरा ग्राम डोड़मा करमू टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सामुएल भेंगरा पिता स्व० भोगन भेंगरा ग्राम चन्द्रपुर सीसी टोला, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डोड़मा</td><td>10</td><td>163</td><td>901</td><td>0.31</td></tr></tbody></table> <p>आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोरपा से भूमि विक्री की अनुमति हेतु जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का आपसी बँटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त भूमि पर आवेदक का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त भूमि की अनुमति हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)	डोड़मा	10	163	901	0.31	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)								
डोड़मा	10	163	901	0.31								